

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

अमीत कुमार बनाम कृष्णा आदि

दावा बाबत :- 88 R.A.C.

मुकदमा नम्बर :- 124/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील राजेश्वर चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील संदीप चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा और डी के खाता सं 546/199 के खसरा सं 525 की 2.5920 हे, खसरा सं 528 की 8.4230 हे, खसरा सं 797 की 7.955 हे, कुल 18.9700 हे वारनी खातेदारी लुमि मुनि के सन्तान पुत्र रिशाल सिंह के नाम 1/9 हिस्सा राजेश्वर रिशाल के दफ्त है, उक्त वारिष्ठ वाद मुमि में सन्तान पुत्र रिशाल सिंह के हक पर अमीत कुमार पुत्र रिशाल सिंह की बाधना की जाती है। इस अनुसार राजेश्वर रिशाल इस्तरा किया जावे यदि लुमि मुनि के हक के हक होने के उपरान्त ही राजेश्वर रिशाल के दफ्त किया जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(शिफर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प 2021